

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2816]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2013/अग्रहायण 27, 1935

No. 2816]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2013/AGRAHAYANA 27, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3705(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 294(अ), तारीख 14 फरवरी 2007, जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में तारीख 27 फरवरी, 2007, को प्रकाशित की गई थी, में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की प्रस्तावना में,—

“विशेष भूमि अर्जन अधिकारी संख्या 5, सोलापुर” शब्दों और आंकड़ों के स्थान पर “उप कलक्टर भूमि अर्जन अधिकारी, सं. 11, (कृष्णा खोरे), सोलापुर” शब्द और आंकड़े प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

[फा. सं. भाराराप्रा/11012/पीआईयू-सोलापुर/2012]

माया प्रकाश, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : मूल अधिसूचना का.आ. 294 (अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 27 फरवरी, 2007 में प्रकाशित की गई थी जिसे बाद में अधिसूचना संख्या का.आ. 1084(अ), तारीख 5 मई, 2008 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th December, 2013

S.O. 3705(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of Section 3 of National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby make the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 294(E), dated the 14th February 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 27th February 2007, namely:—

In the Preamble to the said notification—

For the words and figures “Special Land Acquisition Officer No. 5, Solapur”, the words, figures and “Deputy Collector Land Acquisition No. 11 (Krishna Khore), Solapur”, shall be substituted.

[F. No. NHAI/11012/PIU-Solapur/2012]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

Footnote : The principal notification was published *vide* S.O. 294(E) dated the 14th February 2007, in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated the 27th February 2007, and amendment subsequently *vide* Notification No. S.O. 1084(E) dated 5th May, 2008.